

फैक्ट सीट

कार्य का नाम :- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0-221/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्ठा की मजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला II से पीपलसार तक भूड से सड़क का नव निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई- 6.500 किमी0)

प्रस्तावित भूमि की वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है0 में)-

1 - आरक्षित वन भूमि	-	3.9550है0
2 - वन पंचायत भूमि	-	0.0000है0
3 - सिविल सोयम वन भूमि	-	0.0000है0
4 - नाप भूमि मोटर मार्ग हेतु	-	0.5950है0
5- नाप भूमि डम्पिंग हेतु	-	0.4800है0
योग	-	5.0300है0

2. प्रस्तावक विभाग का नाम:- निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, देहरादून
3. वन प्रभाग का नाम:- कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी
4. प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है:- हां✓/नहीं
5. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है:- हां✓/नहीं
6. क्या भारत सरकार के प्रारूप में भाग 1,2 एवं 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है। हां✓/नहीं
8. क्या प्रारूप में बांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है। हां✓/नहीं
9. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है। हां✓/नहीं
10. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण पत्र संलग्न है। हां✓/नहीं
11. बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है। हां/नहीं✓
12. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्याधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है। हां✓/नहीं
13. समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वृक्षों की सूची संलग्न है। हां✓/नहीं
14. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है। हां✓/नहीं
15. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

सहित प्रस्ताव में संलग्न है।

हां/नहीं

16. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के स्थल को दर्शाया गया है।

हां/नहीं

17. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/प्रयोजना के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है।

हां/नहीं

18. क्या प्रयोजना क्षेत्र वन्य जीवों की संलग्न दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

हां/नहीं/

19. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है—

यदि हां तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है।

हां/नहीं/

20. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है।

हां/नहीं

21. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)

हां/नहीं

22. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है।

हां/नहीं

23. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है।

हां/नहीं/

24. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है।

हां/नहीं/

25. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।

हां/नहीं/

26. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाए गए हैं।

हां/नहीं

27. वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)

हां/नहीं

28. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है।
(5 हे० से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)

हां/नहीं

29. मानचित्र व वार चार्ट में एकरूपता है। हां✓/नहीं
30. मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है।
अथवा
मलवे के निस्तारण के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न है। हां✓/नहीं
31. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-प्रस्ताव में संलग्न है। हां✓/नहीं
32. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है।
यदि छाया प्रतियां संलग्न की गई है तो क्या वे सत्यापित है। हां✓/नहीं
33. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है। हां✓/नहीं
34. वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृत संलग्न है। हां✓/नहीं
35. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है। हां✓/नहीं
36. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न है। हां✓/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैंक्स सीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र/सूचनाएं संलग्न कर दी गयी है।

कनिष्ठ अभियन्ता
नि०ख०, लो०नि०वि०
देहरादून



सहायक अभियन्ता
नि०ख०, लो०नि०वि०
देहरादून



अधिशाली अभियन्ता
नि०ख०, लो०नि०वि०
देहरादून

